

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)

Official Website - <https://districts.ecourts.gov.in/korba>

--: विज्ञापन :-

क्रमांक- 594/दो-11-03/2018

कोरबा, दिनांक 28 मार्च, 2023

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 31 मई, 2023 शाम 05.00 बजे तक
स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से
(अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे)**

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-03 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से इस विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 31 मई, 2023 को शाम 05.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित पद												अनारक्षित पद (General)			
			अनुसूचित जनजाति (ST)				अनुसूचित जाति (SC)				अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)				मुक्त	महिला	रिजवान	भूतपूर्व सैनिक
			मुक्त	महिला	रिजवान	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	रिजवान	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	रिजवान	भूतपूर्व सैनिक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	सहायक ग्रेड-03	28	4	1	-	-	4	1	-	-	3	1	-	-	9	4	-	1
	योग	32	6	1	-	-	4	1	-	-	3	1	-	-	11	4	-	1

नोट :-

- आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या में परिवर्तन, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPC No. 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित किये गये आदेश एवं उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर पारित किये जाने वाले निर्णयों/आदेशों के अध्याधीन होगी।
- महिला/भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों के वरियता के आधार पर चयन किया जायेगा।
- विज्ञापन में कोई भी Corrigendum जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

--: मर्ती की पात्रता एवं शर्तें --:

वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए-

(छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेवल-7 वेतनमान 28700-91300)

- (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंको एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक।
- (ब) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड से **हिन्दी शीघ्रलेखन (Shorthand) परीक्षा उत्तीर्ण**।
- (स) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
- (द) अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 key depression प्रति घंटा होनी चाहिए।

टीप:- हिन्दी शीघ्रलेखन (Shorthand) परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें।

(2) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिए-

(छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेवल-7 वेतनमान 28700-91300)

- (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंको एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक।
- (ब) छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड से **अंग्रेजी शीघ्रलेखन (Shorthand) परीक्षा उत्तीर्ण**।
- (स) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
- (द) अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में अंग्रेजी टायपिंग की गति 5000 key depression प्रति घंटा होनी चाहिए।

टीप:- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (Shorthand) परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें।

(3) सहायक ग्रेड-तीन पद के लिए-

(छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार मेट्रिक्स लेवल-4 वेतनमान 19500-62000)

- (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंको एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक।
- (ब) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
- (स) अभ्यर्थी की कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग की गति 5000 key depression प्रति घंटा होनी चाहिए।

--: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें --:

(1) आयु सीमा :-

प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी 2023 को, 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक एफ-3-2/2015/1-3, नया रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 01.01.2019 से 31.12.2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए अभ्यर्थी के हाई स्कूल (Matric) अंक सूची (Marksheet) में अंकित जन्मतिथि (Date of Birth) ही मान्य होगी, अन्य किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जायेगा।

(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 2 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- 2 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प.दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- 2(एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी। यही आयु की छूट परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 2 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 (सात) वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

- 2 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2 (एक)(6)– छ०ग० राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 2 (एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-2 /2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 2 (एक)(8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2 (एक)(9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 2 (दो) (1)– आदिम जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 28/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(इस हेतु सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)
- 2 (दो)(2)– विक्रम पुरस्कार सहित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद्रभंज देव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 2 (दो)(3)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक- एफ-06-10/2004/1-9 दिनांक 06/07/10 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :-

- (1) बिंदु क्रमांक 2 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2) बिंदु क्रमांक 2 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक 2 (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।
उपरोक्त 1 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :-

इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ०ग० शासन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

(3) अन्य शर्तें :-

1. अभ्यर्थी यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर अभ्यर्थी को स्पष्ट रूप से (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक), आवेदित पद का नाम एवं कार्यालय का नाम अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
2. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के ऑफिशियल वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ्स चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित करेगा।
5. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता/अनुभव की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता/अनुभव घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/ समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष	-	पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	-	पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	-	पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

8. चयनित अभ्यर्थियों को कोरबा जिले के बाह्य न्यायालय में नियुक्ति की जा सकेगी।

9. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को बिना सूचना दिये तत्काल उसकी सेवा समाप्त किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
10. उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित/वैध होना अनिवार्य है।
12. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. कोई भी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
14. अभ्यर्थी को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन व दावा/आपत्ति उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन

प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/korba तथा सूचना पटल पर चस्पा कर किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति हो तो अभ्यर्थी सूची प्रकाशन/चस्पा किये जाने की तिथि से **सात दिवस के भीतर** चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश कर सकेंगे। दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाईड पर अंतिम पात्र सूची प्रकाशित की जायेगी।

विज्ञापित पदों हेतु चयन की प्रक्रिया

पदवार, आवेदनों की संख्या अधिक होने पर, विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रवीण्यता (मेरिट) के आधार पर 01 (एक) पद पर 10 (दस) के अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु बुलाया जायेगा।

समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे कौशल परीक्षा (Skill Test) हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा।

1. स्टेनोग्राफर हिन्दी पद हेतु :-

कौशल परीक्षा (Skill Test) – (कुल अंक 500, समय-सीमा 45 मिनट)

अभ्यर्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया जाएगा, जिसे कौशल परीक्षा के कुल निर्धारित समय 45 मिनट में से शेष 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में **उबन्दू लाईनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं Unicode Font (Mangal etc.)** में टाईप करना होगा। प्रत्येक छोड़े गये शब्द एवं अशुद्धि/त्रुटि के लिए 01 (एक) अंक काटा जायेगा।

2. स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद हेतु :-

कौशल परीक्षा (Skill Test) – (कुल अंक 500, समय-सीमा 45 मिनट)

अभ्यर्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुतलेख (डिक्टेशन) दिया जाएगा, जिसे कौशल परीक्षा के कुल निर्धारित समय 45 मिनट में से शेष 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में **उबन्दू लाईनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं Unicode Fonts (Times New Roman, Aakar and Arial etc.)** में टाईप करना होगा। प्रत्येक छोड़े गये शब्द एवं अशुद्धि/त्रुटि के लिए 01 (एक) अंक काटा जायेगा।

3. सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु :-

कौशल परीक्षा (Skill Test) – (कुल अंक 260, समय-सीमा 10 मिनट)

अभ्यर्थी को 250 शब्दों के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर में **उबन्दू लाईनेक्स सिस्टम के लिब्रे ऑफिस एवं Unicode Font (Mangal etc.)** में टाईप करना होगा। प्रत्येक छोड़े गये शब्द एवं अशुद्धि/त्रुटि के लिए 01 (एक) अंक काटा जायेगा।

नोट :- सेटिंग (यथा हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, अंडरलाइन आदि) को भी अशुद्धि/त्रुटि माना जायेगा।

टीप :-

1/- स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड-तीन के पद हेतु आयोजित कौशल परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिये आयोजित कौशल परीक्षा में शामिल होना होगा।

2/- **वर्गवार मेरिट सूची :-** कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार अंतिम चयन सूची तैयार कर कार्यालय की वेबसाईड पर अपलोड की जायेगी एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा की जायेगी।

वर्गवार प्रतीक्षा सूची :- कौशल परीक्षा (Skill Test) में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर ही वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध/प्रभावशील होगी।

- 3/- समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को चयनित किया जायेगा।
- 4/- जन्मतिथि भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसे चयनित किया जायेगा।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जायेगा।
2. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जायेगा।
3. चयनित अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, का कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा। अपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में उनके नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
4. यह विज्ञापन, किसी कारण बताये बिना, किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
5. जो अभ्यर्थी, चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर न केवल निरस्त की जाएगी अपितु वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी जिला न्यायालय की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/korba से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाप्रति कॉलम में नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र आदि की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
7. कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को पूर्वोक्तानुसार स्वयं भरकर कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होगा, विलंब से उपस्थित होने पर कौशल परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
8. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही जानकारी प्रदान की जायेगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त योग्यता तथा शर्तों को पूरा करता है। आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने की दशा में उसका आवेदन पत्र निरस्त कर, उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई सारवान् जानकारी छुपाना पाये जाने पर उसकी नियुक्ति पश्चात् भी सेवा समाप्त तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्यक्ष

भर्ती समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरबा (छ0ग0)

अध्यक्ष

28.3.2023
LJ.

28-03-23

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
(दस्तावेज स्वप्रमाणित होना चाहिए)

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। उपरोक्त दी गई कोई भी जानकारी अथवा सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर आवेदित पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
नाम
पता

.....
.....